न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः—भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः— 01 / 2021

अपीलाण्ट **बनाम** **रेस्पोडेण्ट्स**

श्रीमती शिवरी पुत्री स्व. सालूराम
पत्नी भिरमराम जाति विश्नोई
निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. भाकरराम पुत्र सालूराम
2. बीजाराम पुत्र सालूराम
3. रामरख पुत्र सालूराम
4. भीयाराम पुत्र सालूराम
   जातियान विश्नोई
   निवासीगण जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
5. श्रीमती नारायणीदेवी पुत्री स्व. सालूराम पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील झंवर जिला जोधपुर
6. श्रीमती माडीदेवी पुत्री स्व. सालूराम पत्नी गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी जूनकी ढाणी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
7. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. सालूराम पत्नी जैताराम जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
8. श्रीमती सूरीदेवी पत्नी स्व. सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (**डिलीट**)
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर
10. सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 12 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कापरड़ा

उपस्थितिः— अपीलाण्ट की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या—1 से 4 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या—5, 6, 9, 10 अनुपस्थित
रेस्पोडेण्ट संख्या—7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय **दिनांक 21/6/2022**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में अपीलाण्ट के पिता सालूराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 9.6756 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 4.4819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 3.7780 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 17.9760 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 762 रकबा 2.3461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 6.4477 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 8.7938 हैक्टेयर आयी हुयी है। सालूराम जी का देहान्त सन् 2000 में हो गया। देहान्त के समय सालूराम के उतराधिकारी उनके चार पुत्र भाकरराम, बींजाराम, रामरख, भीयाराम तथा चार पुत्रीया अपीलाण्ट श्रीमती शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी तथा पत्नी श्रीमती सूरीदेवी थे, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उतराधिकारियों का म्यूटेशन संख्या 12 भरते समय केवल सालूराम के चार पुत्रों एवं पत्नी का नाम ही लिख दिया एवं सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा बीना किसी प्रकार की जॉच किये वह म्यूटेशन नियम विरूद्ध स्वीकृत कर दिया। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 12 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार सालूराम की भूमि में उनकी चार पुत्रिया अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 7 के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मृतक खातेदार सालूराम की पुत्री होने से वह उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा सालूराम की भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पहले अपीलान्ट को कोई नोटिस या सूचना नही दी गयी। जबकि नियमानुसार खातेदार के सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का कापरड़ा से अपने पिता सालूराम की भूमि की जमाबन्दी की नकल चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या-1 से 4, 8 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तब अपीलान्ट ने सालूराम के देहान्त पर उतराधिकारी के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 12 की नकल हल्का पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से दिनांक 13.01.2021 को प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का से अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 12 की दिनांक 13.01.2021 की नकल मिलने पर अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी हुई। अतः जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि म्यूटेशन संख्या–12 के विरूद्ध की गयी अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 10 को जरिये सम्मन नोटिस भेजे गये, जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 10 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या–7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या–5, 6, 9, 10 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोडेण्ट संख्या 8 दौराने अपील फौत हो गयी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 8 के विधिक वारिसान को इस अपील में पूर्व में ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया होने के कारण उसके नाम के आगे डिलीट का नोट अंकित किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया, जिसके जवाब के साथ प्राथमिक आपतियां पेश की गयी। प्राथमिक आपतियां इस आधार की पेश की गयी कि सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा म्यूटशेन संख्या–12 सन् 2002 में स्वीकृत किया गया, अपीलाण्ट ने म्यूटेशन संख्या–12 के स्वीकृति के 19 वर्ष बाद अपील पेश की है। जो म्याद बाहर है। धारा–5 म्याद अधिनियम के अनुसार म्याद बाहर अपील का गुणावगुण पर सुनवाई का न्यायालय को अधिकार नहीं है। ग्राम जाम्बानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 762 रकबा 2.3461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 6.4477 हैक्टेयर में से 1/10 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 725 रकबा 9.6756 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 4.4819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 3.7780 हैक्टेयर में 1/5 वां हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या–4 भींयाराम पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या–4 भींयाराम ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सायरी देवी के पक्ष में बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

म्यूटेशन संख्या–176 प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ग्राम जाम्बानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 762 रकबा 2.3461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 6.4477 हैक्टेयर में से 1/10 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 725 रकबा 9.6756 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 4.4819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 3.7780 हैक्टेयर में 1/5 वां हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या–3 रामरख पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या–3 रामरख ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सुरजी देवी के पक्ष में बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या–176 प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ग्राम जाम्बानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 762 रकबा 2.3461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 6.4477 हैक्टेयर में से 1/10 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 725 रकबा 9.6756 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 4.4819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 3.7780 हैक्टेयर में 1/5 वां हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या–1 भाकरराम पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 भाकरराम ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 04.02.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती सायरी देवी के पक्ष में बख्शीशनामा निष्पादित करवा दिया। इस कारण बख्शीशगृहिता श्रीमती सायरी देवी पत्नी भींयाराम, श्रीमती सुरजी पत्नी रामरख, श्रीमती सायरी देवी पत्नी भाकरराम अपील में आवश्यक पक्षकार है, अपील में तीनों को पक्षकार नहीं बनाया है, तीनों बख्शीशनामा को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा तीनों बख्शीशनामें को निरस्त नहीं किया जाता तब तक राजस्व न्यायालय उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। अपीलाण्ट ससुराल में रहती है, उसका जाम्बानगर की भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है। विवादित भूमि पर श्रीमती सायरी देवी पत्नी भींयाराम, श्रीमती सुरजी पत्नी रामरख, श्रीमती सायरी देवी पत्नी भाकरराम का है। कानूनन बीना कब्जे के किसी भी व्यक्ति को न तो खातेदार घोषित किया जा सकता है। म्यूटेशन की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है। जटिल प्रश्नों का निर्धारण दावे में ही तय किया जा सकता है। सालूराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या–12 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या–5 से 7 की सहमति से ही रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4, 8 के नाम दर्ज किया गया। अपीलाण्ट की अगर

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहमति नहीं होती तो अपीलाण्ट 30 दिवस के भीतर अपील अवश्य पेश करती। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 के घर पर आती जाती रही है। सन् 2005 में हिन्दू उतराधिकार कानून में हुए संशोधन के अनुसार यदि पिता की मृत्यु सन् 2005 से पहले हुई है तो उस स्थिति में पुत्रियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता है। अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 द्वारा जवाब पेश किया, जो जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मृतक खातेदार सालुराम की पुत्री व प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है, सही होने से स्वीकार है। म्यूटेशन संख्या–12 में अपीलाण्ट ने सहमति दी है अपीलाण्ट ने सहमति प्रकट करने के 30 दिन के भीतर भीतर कोई अपील पेश नही की है। अपीलाण्ट अपने पीहर आती जाती रही है, इस कारण उसको म्यूटेशन संख्या–12 की सम्पूर्ण जानकारी है। अपीलाण्ट ने 19 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो म्याद बाहर, अपील का गुणावगुण पर सुनवाई का न्यायालय को अधिकार नहीं है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या–7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया, जिसमें रेस्पोडेण्ट सख्या–7 ने अपीलाण्ट को मृतक सालूराम की पुत्री होना बताया है। मृतक सालूराम की भूमि में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से बहस में कथन किया कि विवादित भूमि मृतक सालूराम की खातेदारी की थी। मृतक सालूराम के देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या–12 स्वीकृत किया गया, उस फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या–12 में चार पुत्रों एवं पत्नी का नाम ही लिखा गया, जबकि सालूराम के चार पुत्रीयां भी मौजूद थी। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा–8 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दे रखा है कि एक हिन्दू के देहान्त के बाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिशान उसके पुत्र, पुत्री व पत्नी होते है, लेकिन नामान्तरकरण संख्या–12 में मात्र सालूराम के चार पुत्र व पत्नी को ही उतराधिकार मानकर ग्राम पंचायत कापरड़ा ने विधि विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या–12 को स्वीकृत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या–12 को अपीलाण्ट का हक व हिस्सा समाप्त नही हो सकता है। विवादित मामले में सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कापरड़ा ने म्यूटेशन संख्या–12 को स्वीकृत करने से पूर्व विधिक उतराधिकारियों की कोई जांच नही की गयी और न ही अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पहले अपीलाण्ट को कोई नोटिस या सूचना ही दी गयी। जिसके कारण अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 के विरूद्ध दिनांक 14.01.2021 को अपनी अपील पेश की गयी है। अपीलाण्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2008 (1) RRT 1406, 2013 (1) RRT 473, 2013 (2) RRT 1284, 2020 (2) RRT 998 (SC) के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि स्व॰ सालूराम के देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 12 की जानकारी अपीलाण्ट को शुरू से ही है। अपीलाण्ट ससुराल में रहती है, अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है। अपीलाण्ट ने म्यूटेशन संख्या–12 में सहमति को प्रकट किया है। अपीलाण्ट ने प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या–1, 3, 4 की पत्नियों को पक्षकार नही बनाया है जो कि एक सदभावी क्रेता है। म्यूटशेन एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, हक के लिए दावे में निर्धारण होगा। अपील 19 वर्ष बाद पेश की है, जो जाहिरा म्याद बाहर है। अन्त अपील को म्याद बाहर मानकर खारीज करने का निवेदन किया और अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2016 (2) Page 1110, RRT 2016 (2) Page 1139, RBJ 2020 Page 706, RRD 2009 Page 453, AIR 1998 (SC) Page 2276, RRD 2008 Page 644, RRD 2005 Page 85, RRT 2020 (1) Page 508, RRD 2009 Page 751, RRD 1998 Page 610, AIR (SC) Weekly 2015 Page 6160 तथा अपील संख्या–3/2021 अनवान माडकी बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या–7 ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवायी किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार कि उतराधिकारियों की जांच नही की गयी और न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया है। अन्त में धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि म्यूटेशन संख्या–12 जब भरा गया तब

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपीलाण्ट ने सहमति दी है, उक्त सहमति के 19 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है, जो अपील म्याद बाहर है। अपीलाण्ट ने 30 दिवस के भीतर अपील को पेश नही किया है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। उपरोक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या–1, 3, 4 ने अपनी पत्नीयों के नाम से बख्शीशनामें निष्पादित कर दिये, इस कारण बख्शीशनामा को निरस्त नही करवा देते तब तक अपील अपीलाण्ट चलने योग्य नही है।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा कई बार अधिनिर्णित किया है कि जहा गुणावगुण पर मामला ठोस हो वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है एवं मामलें को गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या–12 स्वीकृत किया गया है, जिसको स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाण्ट की अपील को अन्दर म्यादे शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है कि यह विवादित नही है कि मृतक सालूराम के अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 7 वारिशान है एंव हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची में वर्णित सूची में वारिश है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा जारी किया गया म्यूटेशन संख्या–12 की स्वीकृति के समय सालूराम की पुत्रीयां शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी मौजूद थी, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत स्व॰ सालूराम के देहान्त के पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी के वारिशान उसकी चार पुत्रीयां शिवरी, नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी है। सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या–12 से अपीलाण्ट शिवरी व नारायणीदेवी, माडीदेवी, लक्ष्मीदेवी का हक व अधिकार कानूनन रूप से समाप्त नही होता है। विवादित भूमि स्व॰ सालूराम की है, स्व॰ सालूराम की भूमि में उसके चार पुत्र, चार पुत्रीयां व पत्नी का हक बराबर बराबर बनता है, चूंकि सालूराम की पत्नी सूरीदेवी का दौराने अपील देहान्त हो चुका है। मृतक सूरीदेवी का हिस्सा उसके चार पुत्र व चार पुत्रीयां में समायोजित होगा। बीना प्रावधान व नियम के पारित किये नामान्तरकरण संख्या–12 को प्रभाव मे रखे जाने का कोई औचित्य नही है, अतः अपील

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या–12 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 725 रकबा 9.6756 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 4.4819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 3.7780 हैक्टेयर की भूमि में स्व. सालूराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें तथा इसी प्रकार ग्राम जाम्बानगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 762 रकबा 2.3461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 6.4477 हैक्टेयर की भूमि में स्व. सालूराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा